बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

23 मार्च, 2022

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 26

इंदिरा आवास का निर्माण

*165 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के संपतचक प्रखंड के ग्राम कामताचक की संगीता देवी राशन कार्ड संख्या- 10230014012452400000153 छत विहीन, शौचालय विहीन गरीबी से जूझती हुई टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, संपतचक, पटना द्वारा इन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत शामिल नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि ग्रामीण आवास सहायक द्वारा कई बार इनकी टूटी-फूटी झोपड़ी की तस्वीर इंदिरा आवास योजना के लिए ली गयी, किन्तु लाभार्थी सूची में प्रथम पायदान पर नाम शामिल नहीं किये जाने के कारण इनके आवास का निर्माण नहीं हो सका है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार की योजना ऐसे गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर आवास देना है किन्तु पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण इनकी गरीबी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राथमिकता के

आधार पर इंदिरा आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कबतक कराना चाहती है?

तालाबों का जीर्णोद्धार

***166 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत एकमा बाजार के वार्ड संख्या- 16, ग्राम-कोहड़गढ़, पंचायत-भरहोपर, स्थित सरकारी तालाब, खाता नं.- 1010, तौजी नं.- 414, सर्वे प्लौट नं.- 2606, 1715 एवं गड़हा खाता नं.- 1010, तौजी नं.- 414, सर्वे प्लौट नं.- 4729, 4757, 5826, 5836 की सरकारी अमीन से नापी करवाकर, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब और गड़हा के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराने के संबंध में नगर पंचायत एकमा बाजार की पार्षद सरोज देवी ने दिनांक- 07.07.2021 को जिला पदाधिकारी, सारण एवं माननीय विधान परिषद् सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने भी दिनांक- 05.08.2021 तथा 17.10.2021 को पत्र द्वारा अनुरोध किया है, किन्तु अबतक उपर्युक्त कार्य नहीं कराया जा सका है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित तालाब एवं गड़हा के जीर्णोद्धार एवं सौंदयीकरण का विचार रखती है?

संख्या पुनर्निर्धारित

***242 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार जन-वितरण प्रणाली संबंधी कार्य प्रत्येक पंचायत में वहां की जनसंख्या के आधार पर वितरकों (Dealers) की संख्या पुनर्निर्धारित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कलवर्ट का निर्माण

***243 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि नगर परिषद् दानापुर क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 27 में गाभतल चौराहा मेन रोड, जो हांडी साहब गुरूद्वारा जाने का एक मात्र मुख्य मार्ग है, पर कलवर्ट का निर्माण नहीं होने से नाला का पानी प्रायः प्रत्येक दिन सड़क पर बहता रहता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सार्वजनिक हित में उक्त स्थान पर कलवर्ट निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है?

विधवा के नाम से आवंटित

***244 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कैमूर जिला के मोहनियां प्रखण्ड के ग्राम- दंडवास के अमित कुमार को 7 सितम्बर, 2021 को जनप्रणाली के अंतर्गत दुकान आवंटित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि दुर्भाग्यवश अमित कुमार की मृत्यु 9 सितम्बर, 2021 को सड़क दुर्घटना में हो गई;

(ग) क्या यह सही है कि स्व० अमित कुमार की मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार पर विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और भरण-पोषण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्व० अमित कुमार के नाम से आवंटित जनप्रणाली की दुकान का मानवीय आधार पर उनकी विधवा पत्नी रितु कुमारी के नाम से आवंटित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

***245 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के कंकड़बाग, रोड- 3 के मलाही पकड़ी चौक से पटना न्यू बाइपास तक निर्मित 90 फीट सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नाला के निर्माण के अभाव में बरसाती पानी, दुसाधी पकड़ी,

कैलाशपुरी, भाभा कॉलोनी आदि कॉलोनियों में जमा हो जाता है, जिससे वहां की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मलाही पकड़ी चौक से न्यू बाइपास तक 90 फीट सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पथ का निर्माण

***246 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत मनेर नगर पंचायत के वार्ड नं.- 19 में स्थित ग्राम- मोहनपुर ऊंचा पर स्थित P.C.C. सड़क से निकलकर देवी स्थान तक सड़क प्रस्तावित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ की सारी प्रक्रिया (निविदा) पूरी हो चुकी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथ के निर्माण में काफी विलम्ब हो चुका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण यथाशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अनापत्ति पत्र

***247 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री दीनानाथ चौधरी, पिता- स्व० चैतु चौधरी, मुहल्ला- दुरुखी गली, झब्बू लाल स्कूल के पीछे, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्री दीनानाथ चौधरी ने वर्ष 1953 में केवाला सं०- 6401, नाम मोकिर बाबू प्रसाद, पिता- गोपाल साहू एवं बाबू देवकी प्रसाद, साकिन- नया टोला, थाना- कदमकुआं, पटना से बयनामा रजिस्ट्री कराई है, जिसका खाता सं०- 50, खेसरा सं०- 585, रकबा- 4 कट्ठा 5 धूर जमीन है जिसका मौजा मोहर्रमपुर, थाना सं०- 137, सर्किल सं०- 20, होल्डिंग सं०- 235 एवं राजस्व जमाबंदी सं०- 753 है;

(ग) क्या यह सही है कि दीनानाथ चौधरी द्वारा मकान एवं चहारदीवारी निर्माण

कराने की अनुमति हेतु नगर निगम अंचल, बांकीपुर, पटना को एक आवेदन दिनांक- 19.02.2021 को दिये जाने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसी बीच खाली जमीन को स्थानीय दबंग लोग अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं तथा उन्होंने उस पर एक चापाकल गाड़ दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ-साथ महादलित दीनानाथ चौधरी की जमीन की चहारदीवारी करने हेतु अनुमति नगर निगम अंचल, बांकीपुर, पटना से दिलाकर स्वीकृति (अनापत्ति पत्र) प्रदान कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

नियुक्ति कबतक

*248 **श्री संजय सिंह (मनोनीत):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या- 05/2015 में दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में कार्य का अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को 25 अंक की अधिमान्यता देने का प्रावधान किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्राईवेट अस्पताल के अधीन कार्य का अनुभव रखने वाले चिकित्सकों द्वारा आवेदन दिया गया था, परन्तु केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करनेवाले चिकित्सकों को इन्टरव्यू के लिये नहीं बुलाया गया;

(ग) क्या यह सही है कि खण्ड 'ख' में वर्णित स्थिति के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में सिविल अपील नं.- 9482/2019/एस.एल.पी./ सिविल नं.- 12245/2017 में डा० मेजर मीता सहाय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक- 17.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में डा० मेजर मीता सहाय के साथ-साथ अन्य दो की नियुक्ति कर ली गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रभावित दंत चिकित्सक जो उच्चतम न्यायालय की शरण में नहीं गये हैं उन्हें डा० मेजर मीता सहाय की भांति नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पर्यटन के रूप में विकसित

***249 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत हथियावां पंचायत के हथियावां गांव में सूर्य मंदिर, दुर्गा स्थान एवं ठाकुरवाड़ी तीनों मंदिर एक ही स्थान पर स्थित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त गांव स्थित सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है और छठ पूजा के अवसर पर कई गांव के श्रद्धालु पूजा के अवसर पर उपस्थित होते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांव स्थित मंदिरों को पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

ठोस कार्रवाई

***250 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के फुलपरास अंचलान्तर्गत मौजे-लक्सेना में खाता सं.- 130, खेसरा पुराना- 296 एवं नया- 1295 से संबंधित आम जमीन का कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास के कार्यालय के ज्ञापांक- 160/21, दिनांक- 13.04.2021 एवं एम० आर० नं.- 26/20-21 के द्वारा अंचलाधिकारी, फुलपरास को सरकारी अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है;

(ग) क्या यह सही है कि फुलपरास थाना की पुलिस ने अतिक्रमित जमीन एवं अतिक्रमणकारी के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास के कार्यालय में जो प्रतिवेदन समर्पित किया है वह अनुमंडल कार्यालय में डी० आर० 952/20-21, दिनांक- 20.04.2021 के रूप में अभिलेखित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

***251 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **सहकारिता** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण और भोजपुर जिले में धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस वर्ष घटा दिया गया जबकि नालंदा जिले में धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर पैक्स में धान अधिप्राप्ति में किसानों की जगह पैक्स अध्यक्ष, स्वयं, पिता, भाई एवं सगे संबंधियों के नाम पर जमीन से ज्यादा अनुपात में धान की अधिप्राप्ति दिखाकर राशि का गबन कर दिए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जनवितरण की व्यवस्था

***252 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि उत्क्रमित शिवहर नगर परिषद् में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्र के सात गांवों के लोगों को अभी तक शहरी क्षेत्र को मिलनेवाली नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन गांवों में शहर की तरह साफ-सफाई की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन गांवों को नियमानुसार शहरी क्षेत्रों में मिलनेवाली सभी सुविधाओं यथा शहरी बिजली फीडर, साफ-सफाई, जनवितरण आदि की व्यवस्था हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नाला एवं पी.सी.सी. सडक का निर्माण

***253 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के अजीमाबाद प्रमंडल के बड़ी पहाड़ी, जकरियापुर, अक्षय नगर रोड नं.- 4 में नाला सह सड़क निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्य शीघ्र सम्पन्न नहीं होने के कारण प्रभावित क्षेत्र की जनता को कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में नाला एवं पी.सी.सी. सड़क का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

***254 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **सहकारिता** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मोकामा नगर परिषद् स्थित व्यापार मंडल का भवन जीर्ण-शीर्ण है, जो विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि मोकामा स्थित कार्यरत व्यापार मंडल के दैनिक कार्य का निष्पादन अन्य स्थान से किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सदन के माध्यम से अवगत कराएगी कि मोकामा नगर परिषद् स्थित जीर्ण-शीर्ण व्यापार मंडल के भवन का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

अग्रेतर कार्रवाई

***255 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रावधान के आलोक में दरभंगा जिला अंतर्गत सदर दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के अंतर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पदों पर जिला चयन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2021 को बैठक संपन्न हुई;

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के आदर्श आचार संहिता अवधि

समाप्ति के 2 माह बीत जाने के उपरांत भी आज तक अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जन वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई कर सेवा बहाल करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पर्यटकों की सुविधा

***256 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां देश-विदेश के पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को होनेवाली असुविधा को दूर करने के लिए विभाग द्वारा विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के नजदीक पर्यटकों की सुविधा में बढ़ोत्तरी हेतु विशेष योजना का कार्यान्वयन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

***257 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत 45 दिनों के अंदर दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन किये जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि गोपालगंज, सारण, सिवान, जमुई, जहानाबाद, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बक्सर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण सहित 18 जिलों में कुल 7107813 दाखिल खारिज के आवेदन लोक सेवाओं के अधिकार के तहत राज्य के विभिन्न अंचलों के R.T.P.S काउन्टर पर वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में जमा किए गए थे;

(ग) क्या यह सही है कि 45 दिनों की अवधि भी समाप्त हो जाने के बाद दिनांक 07.02.2022 तक 166677 दाखिल खारिज के आवेदन अबतक निष्पादित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो ससमय आवेदन निष्पादन नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

धान की खरीदारी

*258 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **सहकारिता** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत मांझी प्रखंड के मटियार पैक्स का चुनाव हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि पैक्स धान की खरीदारी करती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मटियार पैक्स में धान की खरीदारी की व्यवस्था करेगी, यदि हां तो कबतक?

मैथिली भाषा

*259 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **मंत्रिमंडल सचिवालय** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मिथिलांचल में मैथिली भाषा में सभी सरकारी कार्यालयों में आवेदन स्वीकार करने का संकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक मैथिली भाषा में आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मिथिलांचल क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालयों में मैथिली भाषा में आवेदन स्वीकार करने का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सडक की मरम्मती

*260 **डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड सं.- 2 में चाउमीन फैक्ट्री से अपर्णा मेन्शन अपार्टमेंट होते हुए विजय नगर की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क क्षतिग्रस्त रहने के कारण गाड़ियों के आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होते रहती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित क्षतिग्रस्त सड़क का अविलम्ब मरम्मति कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

राशि का निर्धारण

*261 **श्री देवेश कुमार (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर निगम की ओर से पटना में 16 जगहों पर गीले कचरे से खाद उत्पादन की योजना है, इसके लिए एक वर्ष पूर्व निगम के द्वारा कुल 2 करोड़ रुपये राशि से 16 कंपोस्ट मशीनें खरीदी गई थी, जिससे कि गीले कचरे से खाद बनाया जा सके, इन कम्पोस्ट मशीनों की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या यह मशीनें हर जगह सुचारू रूप और पूर्ण क्षमता से काम कर रही है;

(ख) क्या यह सही है कि घरों से निकलने वाले कचरे में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं मिलना परेशानी का विषय है, जबकि कम्पोस्ट मशीन में खाद उत्पादन के लिए गीले कचरे की ही आवश्यकता है, इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा कचरे से खाद उत्पादन के बाद उसकी बिक्री के लिए निगम की ओर से कोई राशि निर्धारित की गई है, इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है?

सडक की मरम्मत

*262 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि प० चम्पारण जिला अंतर्गत नगर परिषद् बगहा में अमृत

योजना अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु पानी टंकी पाइप बिछाने का कार्य किया गया, जो मानक के अनुरूप नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद् बगहा में अमृत योजना अन्तर्गत वार्ड नं.- 33, 34 एवं 35 में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है;

(ग) क्या यह सही है कि पाइप बिछाने के क्रम में रोड को तोड़ दिया गया, जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा नहीं की गई, जिससे सड़क लोगों के चलने लायक नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

ससमय भुगतान

***263 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण में सीमा सुरक्षा सड़क का निर्माण कराने के लिए जमीन का किसानों से अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु किसानों को मुआवजा देने के लिए भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा मोटी रिश्वत की मांग की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा रिश्वत की मांग करने की वजह से अभी तक जमीन मालिक को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर उचित कार्रवाई करने एवं जमीन मालिक को जमीन का मुआवजा ससमय भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रतिबंध से मुक्त

***264 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत साहेबपुरकमाल, मौजा परोरा थाना सं.- 671 के जिला अवर निबंधक, बेगूसराय के ज्ञापांक 652, दिनांक 21/07/2017 के

निर्देशानुसार असर्वेक्षित / टोपो लैंड की भूमि पर निबंधन करने पर रोक लगाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि असर्वेक्षित / टोपो लैंड भूमि के भू-सर्वेक्षण का कार्य सरकार द्वारा सम्पन्न करना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, राज्य में लगभग प्रत्येक जिले में ऐसे असर्वेक्षित / टोपो लैंड की भूमि के निबंधन पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है जिनके पास असर्वेक्षित भूमि पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जांच उपरांत खानापूरी के समय इस प्रकार की जमीन का खाता खोलने की कार्रवाई की जा सकती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी भूमि को निबंधन के प्रतिबंध से मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शौचालय एवं पेयजल की सुविधा

*265 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड- मखदमपुर, पंचायत- भैरव में बराबर मंदिर के नीचे 52 सीढ़ी के पास श्रावण-भादो में कांवर यात्रियों के द्वारा विश्राम किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर कांवर यात्रियों के लिए शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है जिस कारण कांवर यात्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?